न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–24/2024

प्रार्थी:–

जयन्तीदास उर्फ जानकीदास पुत्र मंगलदास जाति साद निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री गौतमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.08.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 366 व 80 रकबा क्रमशः 2.8..581 व 2.6811 हैक्टयर ग्राम भाटीखेडा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,पेनकार्ड,जनआधार कार्ड,टी.सी.,बैक डायरी,राशन कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम "जानकीदास पुत्र मंगलदास" दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम जयन्तीदास पुत्र मंगलदास"लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1199 दिनांक 01.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने शिक्षा विभाग द्वारा जारी टी.सी.,आधारकार्ड,निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र,जनआधार कार्ड,पेनकार्ड,राशनकार्ड,बैक पासबुक की नकल आदि प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "जानकीदास पुत्र मंगलदास" है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम भाटीखेडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 366 व 80 में प्रार्थी का नाम "जयन्तीदास पुत्र मंगलदास" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के शिक्षा विभाग द्वारा जारी टी.सी.,आधारकार्ड,निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र,जनआधार कार्ड, पेनकार्ड,राशनकार्ड,बैक पासबुक की नकल आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''जानकीदास पुत्र मंगलदास'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''जयन्तीदास पुत्र मंगलदास'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''जानकीदास पुत्र मंगलदास'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाटीखेडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 366 व 80 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''जयन्तीदास पुत्र मंगलदास'' के स्थान पर ''जानकीदास पुत्र मंगलदास'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested